राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )परावि/प्रशा.2/कलिभ/कोर्टकेसे लीगल/2018/373 जयपुर, दिनांक 06.02.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद अलवर।

विषयः कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के आवेदन में सेटकॉम योजना के अनुभव के अंक जोडकर की गई नियुक्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री कैलाशचंद यादव, पुत्र श्री सीताराम यादव याचिका कर्ता के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका संख्या 10889/2017 में दिनांक 18.05.2018 को अभ्यावेदन निस्तारण हेतु आदेश पारित हुआ था। जबकि श्री कैलाशचंद यादव, पुत्र श्री सीताराम यादव याचिका कर्ता को माननीय न्यायालय के आदेश से पूर्व ही दिनांक 06.12.2017 को जिला स्थापना समिति की बैठक में विचार किया जाकर नियुक्ति प्रदान कर दी गई।

सेटकॉम योजना की स्थापना डिपार्टमेन्ट ऑफ साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी के द्वारा की जाने के कारण इसके संविदा कार्मिको को अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में बोनस अंको का लाभ देय नहीं था। श्री कैलाशचंद यादव, पुत्र श्री सीताराम यादव को जिला परिषद अलवर के आदेश क्रमांक 295–302 दिनांक 07.12.2017 के क्रम संख्या 27 पर सेटकॉम योजना के अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोडकर नियुक्ति दी गई है। श्री कैलाश चन्द को 20 बोनस अंको सहित प्राप्तांक 67.278 माने जाकर नियुक्ति दी गई है। बोनस अंक के बिना श्री कैलाश चन्द यादव के अंक 47.278 है। जबकि श्री कैलाश चन्द यादव से संबंधित कैटेगिरी,अन्य पिछडा वर्ग के अन्तिम कटआफ 64.570 है। कैटेगिरी (64.570) से श्री कैलाश चन्द यादव के अंक (47.278) कम होने के कारण श्री यादव नियुक्ति हेतु पात्र नहीं थे।

इस प्रकार उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति की शर्तो के विपरीत एवं विधिक प्रावधानो के विरूद्ध होने के कारण श्री कैलाशचंद यादव, पुत्र श्री सीताराम यादव को जिला परिषद अलवर के आदेश क्रमांक 295–302 दिनांक 07.12.2017 के क्रम संख्या 27 पर सेटकॉम योजना के अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोडकर किया गया नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री यादव को तत्काल प्रभाव से नियमानुसार सेवामुक्त कर अवगत करावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(एस. एस. सोहता)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. संबंधित श्री कैलाशचन्द यादव कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद अलवर।
6. ए.सी.पी. को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त